**मध्यप्रदेश शासन**

**राजस्व विभाग**

**वल्लभ भवन- मंत्रालय 462004**

क्रमांक 1024 /997/2024/सात/5, भोपाल, दिनांक 07 /10/2024

प्रति

आयुक्त,

भू-अभिलेख मध्यप्रदेश,

ग्वालियर।

विषय:- पटवारियों को एग्रीस्टैक सर्वे भत्ता दिये जाने बाबत।

संदर्भ:- विभागीय पत्र क्रमांक 1244/997/2022/सात/5 दिनांक 18/12/2023

--------0------

कृपया उपरोक्त विषयाकिंत संदर्भित पत्र के द्वारा पटवारियो को मिलने वाले भत्तों के अतिरिक्त एग्रीस्टैक भत्ता प्रतिमाह रू. 4000/- उददेश्य शीर्ष #11 देय वेतन, भत्ते विस्तृत शीर्ष 008-अन्य भत्ते मद से भुगतान करने एवं माह अक्टूबर 2023 के वेतन पेड इन माह नवम्बर 2023 अवधि से भुगतान करने संबंधी विभागीय पत्र दिनांक 18/12/2023 को वित्त विभाग द्वारा को निरस्त करते हुए इसका भुगतान एग्रीस्टैक परियोजना (सी0एस0एस0 स्क्रीम) के तहत करने का परामर्श दिया गया था। उक्त् संबंध में विभागीय टीप के अनुक्रम में वित्त विभाग की टीप क्रमांक 367/आर-442/2024/5/चार दिनांक13/09/2024 द्वारा मंत्रि-परिषद में लिये गये निर्णय के अनुरूप ही पटवारियों को एग्रीस्टैक भत्ता रू. 4000/- प्रतिमाह माह अक्टूबर 2023 के वेतन के साथ भुगतान करने की सहमति दी गई है।

अत: वित्त विभाग की सहमति के अनुक्रम विभागीय पत्र दिनांक 18/12/2023 अनुसार पटवारियों को एग्रीस्टैक भत्ता रू.4000/- प्रतिमाह का भुगतान माह अक्टूबर 2023 के वेतन पेड इन माह नवम्बर 2023 से करने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(राजेश कुमार कौल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक 1025 /997/2024/सात/5, भोपाल, दिनांक 07 /10/2024

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल,
2. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर,
3. आयुक्त कोष एवं लेखा, म0प्र0, पर्यावास भवन, भोपाल,
4. समस्त संभागायुक्त, म0प्0,
5. समस्त जिला कलेक्टर म0प्र0,
6. प्रांताध्यक्ष, मध्यप्रदेश पटवारी संघ भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग